न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 112 / 2018

अपीलार्थीः—

दौलत राम शर्मा निवासी देहली दरवाजा बहार चौहान स्कूल के पास मौहल्ला खास, अलवर।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—::निर्णय::—

दिनांकः— 16—10—2018

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 09.07.2018 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूओं पर बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना उपलब्ध नहीं करवाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक 21.08.18 के माध्यम से अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.10.18 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई।
5. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी से जबाव प्राप्त हुआ। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 10490 दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 09.07.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रा0 पत्र पत्रांक 1769—70 दिनांक 11.07.18 के माध्यम से दिनांक 18.07.18 को प्राप्त हुआ जिसका क्षेत्राधिकार कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण पत्रांक 1648—49 दिनांक 25.07.18 के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी अलवर को अग्रेषित किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई।
6. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 में वर्णित प्रावधानानुसार आवेदक का प्रथम आवेदन दिनांक 09.07.18 नियतावधि में उप खण्ड अधिकारी अलवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया है।

   प्रकरण के अवलोकन अनुसार उप खण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नही की गई है।

   अतः प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। लोकहित में उप खण्ड अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के प्रथम आवेदन दिनांक 09.07.18 में वांछित समस्त सूचनाऐं नियमानुसार प्रमाणित कर अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. निर्णय की प्रति उभयपक्ष के साथ—साथ उप खण्ड अधिकारी अलवर को भी प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner